न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—388/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/388)

1. छीतर पुत्र श्री रामचंद
2. रामस्वरूप पुत्र श्री रामचंद
3. रामदयाल पुत्र श्री रामचंद
4. मनफूली पुत्री श्री रामचंद
5. बजरंग पुत्र श्री सुरजमल
6. कमला पुत्री श्री सुरजमल
7. विश्राम पुत्र श्री सावंता
8. श्योजी पुत्र श्री रामकरण
9. संतोष पुत्री श्री सावंता
10. हीरालाल पुत्र श्री रोडू माता चंद्री पुत्री रामचंद्र जातियान जाट निवासी खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर जरिए मुख्त्यारआम मंगलराम चौधरी पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट निवासी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

अपीलांटस

बनाम

1. घीसा पुत्र श्री कल्याण
2. रामदेव पुत्र कल्याण
3. ग्यारसी पत्नि श्री रामलाल पुत्री श्री कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम धमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
4. जडाव पत्नि श्री गोपाल पुत्री श्री कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम धमाणा तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
5. राजा पत्नि श्री ओमप्रकाश पुत्री कल्याण जाति बैरवा निवासी 155 अमृत नगर, बामण की थडी, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान।
6. मीरा पत्नि श्री सत्यप्रकाश जाति बैरवा निवासी कुंजबिहारीपुरा मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
7. रामेश्वरी पुत्री गौरीलाल जाति महाजन पत्नि रामेश्वरलाल निवासी ई—212 रामपथ श्यामनगर सोडाला जयपुर।
8. दामोदरी पत्नि श्री खेमराज कालानी पुत्री गौरीलाल महाजन जाति महाजन निवासी धांगधा वाया सुरेन्द्र नगर गुजरात।
9. बरजी पुत्री गौरीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान **(फौत)**
   - 9/1 रामवतार पुत्र स्व0 बरजी देवी
   - 9/2 रानिवास पुत्र स्व0 बरजी देवी
   - 9/3 लालचंद पुत्र स्व0 बरजी देवी
   - 9/4 सुरेश पुत्र स्व0 बरजी देवी
   - 9/5 प्रेमसुख पुत्र स्व0 बरजी देवी
   - 9/6 कमलकिशोर पुत्र स्व0 बरजी देवी
   - 9/7 विमला देवी पुत्री स्व0 बरजी देवी
   - 9/8 पुष्पा देवी पुत्री स्व0 बरजी देवी
   - 9/9 मोंटी उर्फ चंद्रकला पुत्री स्व0 बरजी देवी

   (जातियान महाजन निवासी कुडली पो0 कुडली तहसील फागी जिला जयपुर)
10. चंदालाल पुत्र श्री रामनाथ जाति बलाई निवासी नरोत्तमपुरा जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11. रामप्रताप जाजोरिया पुत्र श्री छोटूराम जाति रैगर निवासी धावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. रामनारायण पुत्र श्री रघूनाथ जाति गजसिंहपुरा लक्ष्मीनगर सुराणा फार्म के सामने अजमेर रोड, जयपुर
13. ताराचंद पुत्र श्री चंदालाल जाति बलाई निवासी नरोत्तमपुरा जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
14. बाबूलाल पुत्र श्री रामदेवी जाति रैगर गजसिंहपुरा लक्ष्मीनगर सुराणा फार्म के सामने अजमेर रोड़, जयपुर।
15. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलक्टर जिला जयपुर राजस्थान।
16. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
17. सहायक कलक्टर दूदू जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.11.2022 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर राजस्व वाद संख्या 146/2021

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश चौधरी एवं बी0एल0 शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री पन्नालाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6, 10 से 14
3. श्री पुष्पेंद्रसिंह व उदयसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 9/1 से 9/9
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 15 से 17
5. रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–28.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 146/2021 में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत बंधक का मोचन, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया और जिसमें वादी ने अनुतोष चाहा कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर रहननामा संवत 1998 व बागूजास्त संवत 2013 के आधार को मोचन किया जावे एवं मोचन घोषित किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

कास्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी के हक में निष्पादित विक्रय पत्र बमुकाबले वादी नल एण्ड वॉईड घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा और कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए और नोटिस जारी होने के उपरांत प्रतिवादी संख्या 10 या 14 ने जवाब व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 ने जवाब दावा पेश किया और शेष प्रतिवादीगण की तामील लंबित रही और जिनकी तामील हेतु उक्त प्रकरण तामील हेतु उक्त प्रकरण लंबित था। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 व प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 ने जो जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें यह अभिकथन किया कि विवादित खातेदारी भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के पिता कल्याण के कब्जे काश्त की थी और वही काबिज था और यह भी अभिकथन किया कि सेटलमेंट के टाईम स्वर्गीय रामकरण व स्वर्गीय गौरी लाल के प्रभाव में आकर सेटलमेंट अधिकारियों ने उक्त भूमि का पर्चा रामकरण पुत्र मुकना जाट, गौर लाल पुत्र श्योकरण मूर्तहीन दर राहिन बीजा पुत्र देवा चमार के नाम से जारी कर दिया और यह भी अभिकथन किया कि इसकी जानकारी दिनांक 26.3.1992 को हुई औश्र जिसके बाबत दावा प्रस्तुत किया और उक्त दावा डिक्री किया जाकर स्वर्गीय कल्याण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 को काश्तकार घोषित किया जो कि उच्च न्यायालय में भी बहाल रहा और इस प्रकार उक्त दावे को खारिज करने की इस्तदूआ की उक्त पत्रावली अन्य प्रतिवादीगण की तामील हेतु चलती रही और इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11(डी) व धारा 151 सीपीसी पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और जिसमें यह अभिकथन किया कि उक्त उनवानी वाद में कार्यालय रिपोर्ट की गई है जिसमें विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी आवासीय प्रयोजनार्थ है जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदीयों से पूर्णतया साबित है। विवादित आराजी आबादी भूमि में सपरिवर्तित हो चुकी है और कृषि भूमि नहीं है और इस कारण उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किए जाने का अभिकथन किया। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया और यह अभिकथन किया कि उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है क्योंकि उक्त भूमि में रहन के बाबत जो अनुतोष चाहा है वह विवादित भूमि संवत 2013 से पूर्व से संबंधित है और तत्समय उक्त भूमि कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है और उसी भूमि के बाबत घोषणा एवं बंधक के मोचन के संबंध में अनुतोष चाहा है और इसी बाबत उक्त दावा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में जब उक्त वाद राजस्व भूमि के बागूजास्त किए जाने एवं मोचन किया जाकर काश्तकार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है ऐसी स्थिति में उक्त वाद राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित किए जाने का क्षेत्राधिकार है। न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2022 कसे पुनः बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य, परिस्थति एवं न्यायिक सिद्धांत के विपरीत जाकर प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का आदेश 7 नियम 11 डी के तहत खारिज फरमा जाकर धारा 11 सीपीसी में वाद पत्र खारिज कर दिया गया। अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 146/2021 में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उक्त वाद जो अनुतोष चाहा है वह अनुतोष संवत 1988 व संवत 2013 से संबंधित है और तत्समय उक्त भूमि खातेदारी भूमि थी और उसी संवत 1998 में हुए बंधक को मोचन करवाने एवं खातेदारी दर्ज करवाने बाबत अनुतोष चाहा था और जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से भी साबित था कि उक्त भूमि संवत 1998 में उक्त भूमि रहन रखी हुई थी और जो कि बागूजास्त भी की गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है और अन्य किसी न्यायालय को उक्त रहन के बाबत अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया और प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों के विपरीत जाकर मात्र कयास के आधार पर उक्त दावा खारिज फरमा दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय दिनांक 01.11.2022 अपास्त किए जाने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध तथियों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 के जवाब दावे मे भी यह अभिकथन किया गया है कि उक्त भूमि सेटलमेंट अधिकारियों ने पर्चा खातेदारी रामकरण पुत्र मुकना जाट (राहिन), गौरी लाल पुत्र श्योकरण कोम महाजन, मूर्तहीन दर राहिन बीजा पुत्र श्री देवा चमार अंकित है और इसी भूमि को बागूजास्त घोषित किए जाने का दावा प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाना था किंतु न्यायालय ने उक्त स्वीकृत तथ्य को भी गौर नहीं किया और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमा दिया गया जो कि निरस्त किया जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 01.11.2022 को पारित करते समय प्रार्थना पत्र के तथ्यों के परे जाकर पारित किया है तथा यह भी अंकित किया है कि उक्त वाद से संबंधित बिंदुओं पर पूर्व में उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्धारण किया जा चुका है और उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को यथावत रखा है और ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा धारा 11 सीपीसी के पूर्व में निर्णित हो चुका है इस आधार पर उक्त दावा खारिज करना भी अंकित किया है। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि न्यायालय द्वारा आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत जाकर बिना किसी आधार के मनमाने तरीके से कयास के आधार पर उक्त निर्णय दिनांक 01.11.2022 पारित किया है जो कि प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 में वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्र से परे जाकर पारित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश कानूनन ठहरने योग्य नहीं है एवं खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 11 सीपीसी का हवाला देकर जो निर्णय पारित किया है वह विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। यहां यह भी स्पष्ट है कि धारा 11 सीपीसी के बाबत ना तो कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और ना ही उक्त तथ्यों के बाबत किसी तरह की बहस ही की गई थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने कयास के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो कि अपास्त किए जाने योग्य है। जहां तक धारा 11 सीपीसी से संबंधित तथ्य है कि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पूर्व में वर्णित दावे में ना तो रहन के बाबत कोई निर्णय ही पारित हुआ था और ना ही रहन के बागूजास्त के बाबत कोई घोषणा ही चाही गई थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तथा पूर्व वाद में रहन के मोचन, बागूजास्त, पूरोबंध एवं उक्त की घोषणा के बाबत कोई तनकीयात कायम की गई थी। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा बिना कोई बहस सुनी जाकर मनमाने तरीके से कयास के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णित किए जाने का तथ्य गलत तरीके से अंकित करते हुए उक्त निर्णय गलत तरीके से पारित किया गया है। उक्त निर्णय विधि द्वारा प्रतिपादित निर्णयों एवं कानून के विपरीत जाकर एक पक्षीय रूप से मनमाने तरीके से प्रतिवादीगण को लाभ पहुंचाने के आशय से तथ्यों को परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत जाकर पारित किया है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 146/2021 में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2015(4)सीसीसी 001(एस0सी), 2015(2)सीसीसी 041(केरला), 1992 सीसीसी 308(एच0पी), 2007(4)सीसीसी 101(एस0सी), 2006(1)सीसीसी 205 (बॉम्बे), 2022(2)सीसीसी 402 (त्रिपुरा), 2021(4)सीसीसी 609 (एच0पी), 2019 (1)डब्ल्यू एल सी (एस0सी) सिविल 357, 2008 डब्ल्यू0एल0सी(राज0) यू0सी 285, आर0आर0डी 1982–3, आर0आर0डी 1978–11, आर0आर0टी0 2005(1) 656, ए0जेड0आर 1971 राज0 164, फोटोप्रति उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय शंकर संकाराम काजले बनाम नारायण कृष्णगाडे 17.4.2020, सम्पति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 60 से 62।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/ बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सीपीसी विरूद्ध वर्तमान अपीलांट इस आशय का पेश किया कि वादीगण की ओर से उनवानी वाद बाबत बंधक मोचन, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत कर वाद पत्र के मद संख्या 17 के उपमद संख्या 1 लगायत 7 में अनुतोष चाहा है। उनवानी वाद में कार्यालय रिपोर्ट की गई है, उसमें विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी आवासीय प्रयोजनार्थ है, जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदीयों से पूर्णतया साबित है तथा यह तथ्य भी साबित है कि विवादित आराजी किसी भी प्रकार से बंधक भूमि नहीं है विवादित आराजी आबादी भूमि में संपरिवर्तन हो चुकी है कृषि भूमि नहीं है इसलिए वादीगण द्वारा उनवानी जिन तथ्यों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया है वह विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किए जाने योग्य है। अंत में दादरसी चाही कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज फरमाया जाकर हर्जा खर्चा खास प्रतिवादीगण को दिलवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन के पश्चात यह पाया कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 का अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11(डी) जा0दी0 पेश करने का मुख्य आधार यह रहा है कि वादीगण ने जिस विवादित आराजीयात बाबत वाद पेश किया है वह आराजी कृषि भूमि न होकर आवासीय प्रयोजनार्थ है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 14 ने अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11(डी) जा0दी0 के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है, जो कि प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है, जिनमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कानूनन राजस्व न्यायालय कृषि भूमि के संबंध में ही घोषणा प्रदानकर सकता है न कि आवासीय भूमि के संबंध में इस प्रकार प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं न्यायिक दृष्टांतों से साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है वही दूसरी ओर अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है जो प्रस्तुत प्रकरण पर कतई चस्पा नहीं होते है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित आराजी एवं विचारा बिंदुओ पर पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक मुकदमा नम्बर 208/94 में निर्धारण किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय प्रकरण संख्या एस0बी0सिविल/रिट पीटीशन संख्या 10007/2008 तक सुना जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के निर्णय को यथावत रखा गया है ऐसी स्थिति में प्रकरण में दीवानी प्रक्रिया संहिता धारा 11 के प्रावधान लागू होते है। अतः प्रकरण पर पुनः विचारण किया जाना उचित नहीं है। साथ ही भूमि की किस्म कृषि नहीं होकर आबादी होने से पत्रावली का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह माना है कि वादीगण का वाद धारा 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका है इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2022(2)सीजे(सीआईवी0)राज0, आर0बी0जे0(5)1998 पेज 650, 2022(4)डी0एन0जे(राज0) पेज 1327, 2013(3)डी0एनजे0 राज0,

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी ने एक वाद बाबत बंधक का मोचन, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया और जिसमें वादी ने अनुतोष चाहा कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर रहननामा संवत 1998 व बागूजास्त संवत 2013 के आधार को मोचन किया जावे एवं मोचन घोषित किया जाकर काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी के हक में निष्पादित विक्रय पत्र बमुकाबले वादी नल एण्ड वॉईड घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11(डी) व धारा 151 सीपीसी पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और अभिकथन किया कि उक्त उनवानी वाद में जिसमें विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी आवासीय प्रयोजनार्थ है जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदीयों से पूर्णतया साबित है। विवादित आराजी आबादी भूमि में सपरिवर्तित हो चुकी है और कृषि भूमि नहीं है और इस कारण उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किए जाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अभिकथन किया। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया और यह अभिकथन किया कि उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है क्योंकि उक्त भूमि में रहन के बाबत जो अनुतोष चाहा है वह विवादित भूमि संवत 2013 से पूर्व से संबंधित है और तत्समय उक्त भूमि कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है और उसी भूमि के बाबत घोषणा एवं बंधक के मोचन के संबंध में अनुतोष चाहा है और इसी बाबत उक्त दावा पेश किया गया है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का आदेश 7 नियम 11 डी के तहत खारिज किया जाकर धारा 11 सीपीसी में वाद पत्र खारिज कर दिया गया अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2022 को वादी का वाद खारिज किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया हमने पाया कि विवादित आराजी कि किस्म परिवर्तित हो चुकी है वह कृषि भूमि ना होकर के आवासीय प्रयोजनार्थ की भूमि है। चूंकि उक्त विवादित आराजीयात भूमि कृषि भूमि नहीं होने व आबादी भूमि होने से उक्त प्रकरण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में इस बात का स्पष्ट अवलोकन किया जाकर वाद को खारिज किया गया है क्योंकि राजस्व न्यायालय को कृषि भूमि से संबंधित प्रकरण में ही घोषणा प्रदान करने का अधिकार है ना की आवासीय भूमि में इसलिए उक्त प्रकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए है जो उक्त प्रकरण के पक्ष में उचित चस्पा होने से व वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर कतई चस्पा नहीं होने से उक्त वाद विरूद्ध वादीगण खारिज किया जाना उचित समझते है। चूंकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकरी सांभरलेक मुकदमा नम्बर 208/94 में निर्धारण किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन संख्या 10007/2008 तक सुना जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के निर्णय को यथावत रखा गया है। प्रस्तुत प्रकरण को पुनः विचारण किया जाना उचित नहीं है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी 2022(2)सी0जे0(सीव0)राज0 में यह निर्णय किया गया है " **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 7,नियम 11 व धारा 151–व्याप्ति–यदि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग करके वाद दायर किया जाता है तथा न्यायालय आदेश 7, नियम 11 के अंतर्गत वाद खारिज नहीं कर सकता है तो न्यायालय असहाय नहीं है तथा तदनुसार धारा 151 की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वाद खारिज कर सकता है।**" अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाता है व अपील अपीलांटस खारिज योग्य प्रतीत होने से खारिज कि जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 146/2021 में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर